### न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म०प्र०)

आप. प्रक. क.—187 / 2013 संस्थित दिनांक—05.03.2013 फा. नं.—234503000622013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

––––<u>अभियोजन</u>

/ / <u>विरूद</u>्ध / /

दिलीप पटले पिता सुन्दरलाल, उम्र–25 वर्ष,

निवासी ग्राम कटंगी थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट म.प्र.

---- आरोपी

## / / <u>निर्णय</u> / /

# <u>(आज दिनांक 05/04/2018 को घोषित)</u>

- 01— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए के अंतर्गत आरोप है कि उसने वर्ष 2010 लगातार 16.02.2013 तक ग्राम कटंगी अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में प्रार्थिया मोनिका को उसके पित एवं नातेदार होते हुए लड़की पैदा होने पर से नाराज होकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया।
- 02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि प्रार्थियाँ श्रीमती मोनिका पटले ने थाना आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी वर्ष 2009 में दिलीप पटले के साथ हुई थी, जिससे 02 पुत्री है। आरोपी उसे वर्ष 2010 से कहने लगा कि उससे लड़की—लड़की होती है, इसलिए साथ में नहीं रखना है। आरोपी उक्त बात को लेकर मारपीट करता रहा और वह सहती रही। आरोपी ने उसे छोटी बेटी गरिमा के जन्म के पश्चात नाराज होकर घर से निकाल दिया। सात महीने से मायके में रहने के मध्य दिलीप ने दूसरी

शादी कर लिया और उसे छोड़ दिया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। घटनास्थल का मौका—नक्शा तैयार किया गया। विवेचना दौरान आरोपी दिलीप को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र कमांक 03/13 दिनांक 03.03.13 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

### **04**— <u>प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—</u>

01.क्या आरोपी ने वर्ष 2010 लगातार 16.02.2013 तक ग्राम कटंगी अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में प्रार्थिया मोनिका को उसके पित एवं नातेदार होते हुए लड़की पैदा होने पर से नाराज होकर शारीरिक एवं मानिसक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ?

#### विवेचना तथा निष्कर्ष

05— फरियादी मोनिका पटले अ.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह ग्राम सुकतरा में रहती है। उसका विवाह आरोपी दिलीप पटले से वर्ष 2009 में सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था, जो उसके माता—पिता ने बड़ी धूमधाम से की थी। शादी के एक वर्ष तक उसके

ससुराल एवं पित ने अच्छे से रखे। उसके बाद उसे एक लड़की का जन्म हुआ। उसके पित एवं ससुराल वाले उसे बोलते थे कि उसने लड़की को जन्म दिया है, उन्हें लड़का चाहिये था, इसी बात को लेकर उसे परेशान कर मारपीट करने लगे। उसके बाद दूसरी बार भी उसे लड़की हुई इससे उसका पित दिलीप और ज्यादा नाराज हो गया और उसे मारपीट कर परेशान करने लगा तथा घर से निकाल दिया और बोलता था कि लड़की हुई है, अपने मॉ—बाप के यहाँ से पैसा लेकर आ। उसे लड़का चाहिये वह दूसरी पितन लेकर आयेगा और घर से उसे निकाल दिया। उसने घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखंड में की थी, जो प्रपी.01 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नजरी—नक्शा प्रपी—02 उसके समक्ष तैयार किये थे, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— फरियादी मोनिका पटले अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दिनांक 17.04.09 को उसका विवाह संपन्न हुआ था, पुलिस थाना मलाजखंड में दिनांक 16.02.13 को रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी, उसने उसकी रिपोर्ट एवं कथन में ससुराल वाले परेशान करते थे ऐसा नहीं बतायी थी। साक्षी के अनुसार उसने पुलिस वालों को बता दिया था लेकिन पुलिस वाले बोले कि चुपचाप रहो और उसे धमका दिया। उसने न्यायालय में बतायी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने न्यायालय में जो बतायी थी उसकी प्रति पेश नहीं की है। उसने पुलिस वालों को बतायी थी कि उसका पित उसे पैसे के लिये परेशान करता है और बोलता है कि उसे लड़का चाहिये उक्त बात उसने बता दी थी। यदि उक्त बात उसके बयान एवं रिपोर्ट में न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकती। उसके पित ने उसके साथ 2001 में सितम्बर माह में मारपीट किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मारपीट की थी उसकी उसने कहीं पर भी शिकायत नहीं की थी।

- 07— फरियादी मोनिका पटले अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसके पित ने उसके साथ रायपुर में अशोक नगर में मारपीट की थी, उस समय वह साथ में रहती थी। उसके पित ने उसके साथ कटंगी में भी मारपीट की थी। आरोपी उसका पित उसके साथ मारपीट कर रहा था, उस समय उसके काका ससुर एवं काकी देख रहे थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने मारपीट के संबंध में उस समय किसी को नहीं बतायी थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह रायपुर में 03 साल तक रही। साक्षी के अनुसार वह 09 माह ही रही। उसके मामा के लड़के का नाम संतोष चौहान है। शादी के बाद उसे नेग में ग्राम कटंगी लाये थे।
- 08— फरियादी मोनिका पटले अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसका मामा भाई संतोष ग्राम कटंगी से लेकर ग्राम बिरसा में गया, उसको उसके मामा का लड़का संतोष बिरसा लिजा लिया था उसके दूसरे दिन उसके मायके से लाने के लिए उसका बड़ा पिताजी ग्राम कटंगी आया, जब उसके बड़े पिताजी उसे लेने के लिए आया तो पता लगा कि उसे उसके मामा भाई ने बिरसा पहले ही लिजा लिया है, संतोष चौहान के द्वारा उसके मायके में बगैर सूचना के ग्राम बिरसा में ले गया था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसको उसके बड़े पिताजी वगैरह पूछताछ करने लगे तब संतोष के द्वारा ग्राम कंटगी पहुँचा दिया, संतोष और उसे जब पूछताछ किया गया जिस पर उनके द्वारा कहा गया कि उनसे गलती हो गई है उन्हें माफ कर दो।
- 09— फरियादी मोनिका पटले अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण यह स्वीकार किया है कि उसने बिरसा जाने की सूचना अपने मायके सुकतरा नहीं भिजाई थी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह संतोष चौहान से

शादी करना चाहती थी, उसके द्वारा कहा गया था संतोष चौहान को कि उसकी शादी जबरदस्ती दिलीप के साथ कर दी गई है, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि सुकतरा में लेने के लिये संतोष आया था और वह उसके बाद में उसके साथ गयी थी और उसके साथ रूकी थी, एक साल तक उसके पित के साथ रही और उसके सास—ससुर से अलग रह कर उसके पित के साथ रहने लगी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह उसके पित को बताये बिना अपने मायके चली जाती थी, उसके पित उस संबंध में बोलते थे तो लड़ाई—झगड़ा करती थी।

- 10— फरियादी मोनिका पटले अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसका पित दिलीप रायपुर में मजदूरी करने गया था और उसे घर में अलग रहने के लिए छोड़ गया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह अलग रहती थी तो आता जाता था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका पित उसे रायपुर भी लेकर गया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि रायपुर में भी उसके पित के साथ लड़ाई—झगड़ा करती थी और भाग कर आने की धमकी देती थी।
- 11— फरियादी मोनिका पटले अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी रायपुर में था तब वह उसके मायका आ गई। साक्षी के अनुसार उसकी बच्ची बहुत बीमार थी और उसका उपचार कराना बहुत जरूरी था उसके पित को बताई, किन्तु ध्यान नहीं दिये तो उसने उसके पिता को फोन करके बतायी थी और उसके पिता जो ग्राम मण्डई में ईलाज हेतु डॉक्टर के पास गये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके बाद जब से वह अपने मायके में गई है, तब से अपने ससुराल में नहीं आई, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसे आरोपी ने घर से निकाल दिया है,

उसने आरोपी दिलीप उसके पित के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए झूठा लांछन लगायी है, आरोपी दिलीप ने उससे पैसे की मांग नहीं किया है।

- 12— फरियादी मोनिका पटले अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह उसके मायके में रहती थी तो उसके पित ने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस दिया था, दिलीप ने मिटींग लगाई थी। साक्षी के अनुसार दिलीप ने उसे छोड़ने के लिए मिटींग लगाई थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि समाज के मिटींग के बाद वह दिलीप के साथ नहीं रही। साक्षी के अनुसार वह दस दिन तक रही।
- 13— फरियादी मोनिका पटले अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटनास्थल की लिखा—पढ़ी थाने में उसके समक्ष की गई है, उसे परिवार परामर्श केन्द्र से नोटिस मिला था, किन्तु वहाँ पर कोई समझौता नहीं हुआ। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपी को परेशान करने के लिये झूठे कथन कर रही है।
- 14— साक्षी छत्तरलाल अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है जो उसका दामाद है। प्रार्थी मोनिका उसकी लड़की है, जिसका विवाह आरोपी दिलीप पटले के साथ वर्ष 2009 में हुआ था, जिसे आरोपी ने लगभग 06 माह तक ठीक से रखा, उसके बाद आरोपी लड़की होने की बात पर से मारपीट करता था तथा बाप के घर से पैसा लाने के लिये कहते थे। आरोपी ने मोनिका को मारपीट कर घर से निकाल दिया था, इसके पहले उसने आरोपी को 1,00,000 /— एक लाख की मांगनी पर अस्सी हजार रूपये दिया था। आरोपी ने दूसरी पत्नि को ला लिया है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

- 15— साक्षी छत्तरलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने जब पूछताछ किया था तो उसने अपने बाप के घर से पैसा लाने के लिये कहते है आरोपी ने मोनिका से मारपीट करके एक लाख रूपये मांगा था जिसमें उसने अस्सी हजार रूपये दिया था वाली बात उसने पुलिस बयान में बताया था यदि उसके पुलिस बयान में न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता, किस तारीख, महिना वर्ष को मारपीट किया था उसे जानकारी नहीं है, उसके सामने कोई मारपीट नहीं किया है, उसके सामने आरोपी कभी एक लाख रूपये की मांगनी नहीं किया है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि दूसरी पत्नि को लाकर रखा है वह किसकी बहन—बेटी है नहीं बता सकता।
- 16— साक्षी छत्तरलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि किस तारीख व महीना को लाया था नहीं बता सकता, उसके सामने आरोपी ने किसी महिला को पत्नि बनाकर नहीं लाया है, मोनिका को मारपीट करने के संबंध में किसी भी थाना में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया और ना ही मुलाहिजा करवाये और ना ही किस तारीख व महीना को मारपीट किये नहीं बता सकता। उपरोक्त बात उसने सुनी—सुनाई बात बताया है।
- 17— साक्षी छत्तरलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसकी लड़की मोनिका की शादी वर्ष 2009 में हुई है। किस महीना में हुई है उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि शादी के बाद मोनिका अपने ससुराल में पहली बार गई थी, जिसे नेग में लाने के लिये बड़े भाई भैयालाल को भेजा गया था, भैयालाल के लाने जाने के पहले मोनिका बिरसा निवासी संतोष के साथ बिरसा चली गयी थी,

संतोष को लाने के लिये नहीं भेजा था। साक्षी के अनुसार संतोष को भी भेजे थे।

- 18— साक्षी छत्तरलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि भैयालाल के लाने जाने पर बताया गया कि बिरसा वाले संतोष के साथ चली गई है, आरोपी और मोनिका को अलग कर दिया था जो कि कोठे में रहते थे, उसके बाद दोनों रायपुर चले गये, रायपुर वह कभी नहीं गया, खेती के कार्य करने के लिये आरोपी दिलीप कटंगी आया और मोनिका रायपुर में ही थी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि मोनिका रायपुर से सीधे सुकतरा चली गई, मोनिका शुरू से आरोपी को परेशान करती रहती थी।
- 19— साक्षी छत्तरलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि है मोनिका अपनी स्वयं की ईच्छा से सुकतरा में उसके साथ रह रही है, मोनिका ग्राम बिरसा के संतोष के साथ चली गई थी और ग्राम सुकतरा आ गयी थी, जिसके संबंध में आरोपी दिलीप के द्वारा सामाजिक मीटिंग रखी गई थी, मीटिंग में उसे और जाति समाज के लोगों को बुलाया गया था, जिसमें मोनिका को यह समझाईश दी गयी थी कि बिना बताये कहीं नहीं जाना, मोनिका ने दुबारा गलती और बिना बताये न जाने की बात स्वीकार की थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उक्त विवाद मोनिका संतोष के साथ बिना बताये बिरसा चली गयी की बात को लेकर है। साक्षी के अनुसार लड़की—लड़की हो रही की बात पर से हुई थी।
- 20— साक्षी छत्तरलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी अपनी पत्नि एवं पुत्रियों को मिलने

आया था। साक्षी के अनुसार बुलाने के बाद आया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी उससे कहता है कि उसकी पितन और बच्चों को ले जाऊंगा, किन्तु बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह मोनिका को आरोपी के साथ जाने से मना करता है, उसने ही आरोपी के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाया है, पुलिस ने उसके कोई कथन नहीं लिये थे, वह आरोपी को फंसाने के लिये झूठे कथन कर रहा है।

- 21— साक्षी हेमलता अ.सा.03 ने कथन किया है कि आरोपी दिलीप उसकी लड़की मोनिका का पित है। उसकी लड़की मोनिका का विवाह उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 05 वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह के बाद आरोपी ने लगभग 06 माह तक मोनिका को ठीक से रखा। उसके बाद पैसे की मांग को लेकर झगड़ा करने लगा। मोनिका की दो लड़की है। आरोपी दिलीप ने उसकी लड़की को लड़की—लड़की होती है कहकर एवं पैसे की बात पर से मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा उसी समय से मोनिका उनके साथ रह रही है। आरोपी दिलीप ने दूसरी औरत बना लिया है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 22— साक्षी हेमलता अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने अपने पुलिस बयान देते समय उसकी लड़की को 06 माह तक अच्छे से रखा और उसके बाद पैसों की मांग को लेकर लड़ाई—झगड़ा करने लगा बता दी थी, यदि उक्त बात उसके पुलिस बयान में न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी द्वारा मोनिका को की गई मारपीट को देखने का मौका कभी नहीं आया, किस तारीख, महीना व वर्ष को मारपीट किया है वह नहीं बता सकती उसने मोनिका के शरीर में किसी प्रकार के मारपीट की चोट नहीं देखी, मारपीट करने के संबंध में कोई पंच पचायत या रिपोर्ट नहीं करवाये, उसके सामने कभी पैसों

की मांग नहीं की गई है और पैसों की मांग कब की गई है महीना, वर्ष नहीं बता सकती, दिलीप के द्वारा किस तारीख या महीना को लाया है और किसकी बहन—बेटी है नहीं बता सकती, बिरसा वाले संतोष को जानती है जो उसका भतीजा है, शादी के बाद पहली बार नेग में ग्राम कटंगी अपने ससुराल गई थी, उसके जेठ का नाम भैयालाल है उसको लाने के लिए कटंगी भेजे थे, संतोष ने भैयालाल के लाने जाने के पहले अपने गांव बिरसा ले गया था, वहाँ से सुकतरा पहुँचा दिया।

- 23— साक्षी हेमलता अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दिलीप और मोनिका लगभग साल भर रहे उसके बाद में अपने सास—ससुर से अलग होकर कमाने खाने रायपुर चले गये, उसे रायपुर जाने का कभी मौका नहीं आया, वह रायपुर में रहते हुये किसी प्रकार की बात नहीं बतायी है, रायपुर से आने के बाद मोनिका सुकतरा आ गयी, आरोपी दिलीप के द्वारा मोनिका को लाने के विवाद के संबंध में सामाजिक मीटिंग रखी गई लेकिन मोनिका को समझाईश दिया गया था या नहीं वह मीटिंग में नहीं गई थी, उनके द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, तब से मोनिका उनके घर में निवास कर रही है, उपरोक्त बाते जो उसने बतायी है वह सुनी सुनाई बात बता रही है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह मोनिका की माँ है, इसलिये आरोपी को फंसाने के लिये झूठे कथन कर रही है।
- 24— साक्षी हेमलता अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि मोनिका को लाने ले जाने के संबंध में तीन सामाजिक मीटिंग रखी गई थी। आरोपी दिलीप के द्वारा फिर भी मोनिका मायके में उनके घर पर रह रही है, घटना के बारे में सही बतायी थी या गलत इसकी जानकारी वही बतायेगी।

- 25— साक्षी भैयालाल अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी दोनों को जानता है। उसके न्यायालयीन कथन से 4—5 साल पहले बैहर पल्हेरा कटंगी के दिलीप के साथ मोनिका का विवाह सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। उसे नहीं मालूम की किस बात पर से लड़ाई—झगड़ा होता था वहीं बतायेंगें। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी उसने पुलिस को बयान दिये थे। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि उसे मोनिका ने बताया था कि आये दिन दिलीप लड़की पैदा हुई है के संबंध में उसके साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। अभी मोनिका दो बच्चों को साथ लेकर मायके में रह रही है। परेशान करता था या नहीं वह नहीं बता सकता।
- 26— साक्षी भैयालाल अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि मोनिका को उसके सामने कभी परेशान नहीं किया गया, उसे आरोपी द्वारा मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने देखने का मौका नहीं आया है। वह ग्राम सुकतरा रहता है पल्हेरा कटंगी करीब 10 किलोमीटर दूर है। ऊपर उसने जो बात बताई है वह सुनी—सुनाई बात बताया है।
- 27— साक्षी भैयालाल अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उससे पुलिस ने बयान नहीं लिये थे और ना ही पढ़कर बताये थे, वह नहीं बता सकता कि मोनिका अपने मायके में अपने मन से रहती है, वह लड़की का बड़ा पिता है, शादी के चार दिन बाद में लड़की को लाने गया था उसके पूर्व बिरसा वाले संतोष चौहान के साथ मोनिका बिरसा चली गई थी। उसके लाने जाने पर बताया गया कि मोनिका

को बिरसा वाले संतोष लेकर चला गया तब फिर वह अपने गांव सुकतरा आ गया।

- 28— साक्षी महेन्द्र टेंभरे अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी दोनों को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसने पुलिस को कोई बयान दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मोनिका अभी मायके में ही रह रही है। उसे इस संबंध में जानकारी नहीं है कि मोनिका एवं दिलीप के आपसी विवाद के संबंध में मीटिंग रखी गई थी। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि मिटिंग में दिलीप पटले उपस्थित नहीं हुआ था। उसे मोनिका ने यह नहीं बताया था कि दिलीप उसके साथ आये दिन मारपीट करता रहता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिलीप पटले ने दूसरा विवाह कर लिया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि कहाँ कि लड़की से दूसरा विवाह किया है उसे नहीं मालूम, वह ए.डी.पी.ओ. मेडम के बताये अनुसार दूसरे विवाह की बात बता रहा है।
- 29— साक्षी जागेश्वरी अ.सा.06, साक्षी कौशल्याबाई अ.सा.07, साक्षी घुड़नलाल अ.सा.08, साक्षी जीरनबाई अ.सा.10 तथा साक्षी प्रमिलाबाई अ.सा.11 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानते हैं। उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उन्हें बताया था कि उसके और उसकी पत्नि के संबंध ठीक नहीं है और दोनों के बीच विवाद होते रहता है।

- 30— साक्षी सुलेखा मरकाम अ.सा.11 ने कथन किया है कि वह दिनांक 17.02.2013 को थाना मलाजखंड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को अपराध कमांक 11/13 अंतर्गत धारा—494, 498ए भा.द.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा प्रार्थिया मोनिका तथा गवाह भैयालाल, लोकराम, महेन्द्र, हेमलता, छत्तरलाल तथा दिनांक 19.02.2013 को जागेश्वरी, घुड़नलाल, कौशल्या, जीरनबाई एवं प्रमिला के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। दिनांक 19.02.2013 को उसके द्वारा घटनास्थल ग्राम कटंगी जाकर प्रार्थिया मोनिका की निशादेही पर मौका—नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 31— साक्षी सुलेखा मरकाम अ.सा.11 के अनुसार दिनांक 27.02.2013 को उसके द्वारा आरोपी दिलीप पटले को गवाह माखनलाल तथा सुन्दरलाल के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। संपूर्ण विवेचना उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
- 32— साक्षी सुलेखा मरकाम अ.सा.11 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने उक्त प्रकरण के साक्षियों के बयान प्रार्थिया के बताये अनुसार लेखबद्ध कर ली है तथा गवाहों ने उसे कोई बयान नहीं दिये थे, गवाहों के द्वारा ऐसी कोई घटना होने के संबंध में न जानने की बात बताई गई थी उसके बाद भी उसके द्वारा प्रकरण तैयार करने के आशय से उनके बयान अपने मन से थाने में बैठकर लेख कर प्रकरण में संलग्न कर दी है, उसने प्रार्थिया के कथन भी प्रकरण तैयार करने के आशय से बढ़ा—चढ़ाकर लेख की है, प्रार्थिया ने आरोपी द्वारा दूसरी पत्नि लाकर अपने

साथ रखने की बात नहीं बताई थी और उसने अपने मन से प्रकरण तैयार करने के आशय से लेख कर ली है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि जागेश्वरी किसकी लड़की है, किसकी बहन है, कब शादी हुई, कहां शादी हुई, के संबंध में ना ही शादी की पत्रिका और ना ही स्थान के संबंध में जानकारी ली थी।

- 33— साक्षी सुलेखा मरकाम अ.सा.11 ने अपने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया है कि उसने मौका—नक्शा प्र.पी.02 थाने में बैठकर तैयार की थी, किन्तु साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि मौका—नक्शा में किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं कराई थी और ना ही नाम लेख की थी तथा उक्त संबंध में लेख न होने का वह कारण नहीं बता सकती, प्रार्थिया एवं उसके पिता के द्वारा आरोपी दिलीप के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार की परेशानी के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया था, प्रार्थिया एवं उसके माता—पिता के द्वारा कोई रुपयों की मांग को लेकर प्रताड़ित किये जाने के संबंध में कोई बात नहीं बताई गई थी, प्रार्थिया के माता—पिता ने केवल यह बात बताये थे कि मात्र पुत्रियाँ ही होती है, इसलिये दिलीप नाराज है इसलिये पति—पत्नि के बीच में आपसी विवाद होते रहता है।
- 34— साक्षी सुलेखा मरकाम अ.सा.11 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दिलीप और मोनिका दोनों रायपुर में रहते थे और उसके बाद आकर अलग कमरे में ग्राम कटंगी में निवास करते थे, मोनिका के घर के सदस्यों से ताल—मेल नहीं बैठता है इसलिये अलग रहती है बताये थे, जागेश्वरी से भी आरोपी दिलीप के साथ कब, कहां और कैसे विवाह किया गया इस संबंध में उसके द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने प्रार्थिया से मिलकर आरोपी के विरुद्ध उक्त प्रकरण झूठा तैयार की है।

- प्रकरण में अभियोजन के समर्थन में मुख्य रूप से परिवादी मोनिका 35-अ.सा.01 के अतिरिक्त उसके माता—पिता हेमलता अ.सा.03 तथा छत्तरलाल अ.सा.03 की साक्ष्य उपलब्ध है। परिवादी के माता-पिता की साक्ष्य की सूक्ष्मता से अवलोकन पर दर्शित है कि उक्त साक्षीगण ने अपने पुलिस कथन तथा परिवादी के विपरीत कथन किये हैं। उक्त साक्षीगण ने प्रथमतः मुख्य परीक्षण में पैसे की मांग संबंधी नवीन तथ्य का उल्लेख किया है, तत्पश्चात प्रतिपरीक्षण में पैसे की मांग उनके समक्ष नहीं होने के कथन किये है। जहाँ तक परिवादी से मारपीट का प्रश्न है, दोनों साक्षीगण ने मारपीट के संबंध में मात्र औपचारिक कथन कर प्रतिपरीक्षण में उनके समक्ष किसी प्रकार की मारपीट न होना व्यक्त कर कथन किया है कि उन्हें मारपीट के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। पुत्री के जन्म की अस्वीकारता निर्दयता की कोटि में आता है, जिसमें शारीरिक तथा मानसिक दोनों उत्पीड़न सम्मिलित हैं, परंतु प्रकरण में तत्संबंध में कोई उचित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा साक्षीगण द्वारा मात्र औपचारिक कथन किये गये हैं। परिवादी के माता-पिता हेमलता अ.सा.०३ तथा छत्तरलाल अ.सा.०२ द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है कि आरोपी द्वारा मोनिका को घर ले जाने हेतु तीन बार सामाजिक मीटिंग रखी गई थी, परंतु परिवादी स्वयं अपनी इच्छा से मायके में रही, जबकि परिवादी मोनिका अ.सा.01 द्वारा मुख्यपरीक्षण तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में आरोपी द्वारा उसे घर से निकाल देने के कथन किये गये हैं।
- 36— प्रथम पिल के होते हुए द्वितीय पिल रखना भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दयता की क्षेणी में माना गया है, परंतु प्रकरण में तत्संबंध में भी कोई उचित साक्ष्य नहीं है। प्रकरण में बचाव पक्ष का मुख्य आधार परिवादी मोनिका के रिश्ते के भाई संतोष के संबंधों को लेकर है, परंतु उक्त बचाव निराधार प्रतीत होता है, क्योंकि बचाव पक्ष द्वारा तत्संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं है, परंतु सबूत का आरंभिक भार अभियोजन पर है, जिसमें वह पूर्णतः असफल रहा है। प्रकरण में शेष साक्षीगण पूर्णतः पक्षद्रोही है, जिन्होंने घटना से अनिभज्ञता प्रकट की है।

परिवादी मोनिका अ.सा.01 के कथनों के परस्पर अवलोकन से दर्शित है कि साक्षीगण द्वारा अभियोजन कहानी के विपरीत परस्पर विरोधाभासी कथन किये गये हैं, जिस संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है, जिससे उनकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती। आरोपित अपराध के संबंध में अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थिया मोनिका को उसके पित होते हुए शारीरिक एवं मानिसक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया। फलतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 37- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।
- 38— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 39— प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। उक्त संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट